ई–मेल / महत्वपूर्ण

प्रेषक

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–9फ / NTCP/2022–23 / 2275 लखनऊ / दिनांकः 29/11/2022

विषय : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान एवं अन्य गतिविधियों के सम्पादन हेतु दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–एन0सी0डी0 / एन0टी0सी0पी0–Main file / 2022–23 / 07 / 4968–75, दिनांक 11.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2022–23 में जनपदवार, एवं गतिविधिवार दिशा–निर्देश एवं धनराशि आवंटित की गयी है।

उक्त पत्र में भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (TOFEI)) हेतु प्रदत्त ऑपरेशनल गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निम्नलिखित चार बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है–

1–18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों को न बेंचना।

2–शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद की दुकानें नहीं होनी चाहिए।

3–विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान प्रतिबन्धित होना चाहिए।

4–सभी विद्यालयों में सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की धारा–4 एवं 6 का अनुपालन सुनिश्चिंत करायें।

अवगत कराना है कि उक्त गतिविधि के सम्पादन हेतु विभिन्न जनपदों द्वारा राज्य स्तर से दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके सम्बन्ध में कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 9039, दिनांक 02.09.2021 (संलग्नक–क) के साथ संलग्न तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (TOFEI)) हेतु प्रदत्त ऑपरेशनल गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन एवं स्वमूल्यांकन स्कोर कार्ड (संलग्नक–ख) का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 में विद्यालय कार्यक्रम हेतु राज्य स्तर से नामित स्वयं सेवी संस्थाओं से नियमानुसार कार्यवाही किया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020–21 / 8578, दिनांक 01.10.2020 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,(संलग्नक–ग) जिसके माध्यम से कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यरत जिला सलाहकार को कार्यक्रम हित में अपने तैनाती जनपद के साथ ही आवंटित जनपद के जिला नोडल अधिकारी,एन0टी0सी0पी0 / एन0सी0डी0 से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम के अर्न्तगत निहित गतिविधियों को सम्पादित किये जाने तथा उसकी प्रगति रिपोर्ट महानिदेशालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः आपसे अपेक्षित है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यरत जिला सलाहकार को अपनी तैनाती जनपद के साथ पूर्व में आवंटित जनपद में जिला नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम के अर्न्तगत निहित गतिविधियों को सम्पादित किये जाने एवं प्रगति रिपोर्ट को एम0आई0एस0 पोर्टल पर ससमय अपलोड करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, उक्त कार्य हेतु जिला सलाहकार द्वारा सोशल वर्कर का सहयोग लिया जा सकता है।

पुनः अवगत कराना है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसका राज्य स्तर पर मूल्यांकन करने पर संज्ञान में आया कि अत्यधिक जनपदों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन्फोर्समेंट की कार्यवाही, तम्बाकू उन्मूलन की गतिविधि की रिपोर्ट शून्य अपलोड की जा रही है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप जनपद स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत निहित समस्त गतिविधियों को जनपद स्तर पर सम्पादित करवाते हुए प्रत्येक गतिविधि की त्रैमासिक रिपोर्ट एम0आई0एस0 पोर्टल पर ससमय अपलोड करवाने के साथ ही उसकी हस्ताक्षरित प्रति महानिदेशालय की ई–मेल–nodal.ntcp.up@gmail.com पर उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील पाण्डेय)
राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

पत्रांक–9फ /NTCP/2022–23/ तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को ई–मेल के माध्यम से सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

1 मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2 समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
4 उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

(सुनील पाण्डेय)
राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।